न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
उपस्थितः—सतेन्द्र कुमार (उच्चतर न्यायिक सेवा)
UPSP010008952026

दाण्डिक निगरानी संख्या—49/2026

1. दिलशाद पुत्र सलीम निवासी ग्राम कम्बोह माजरा, थाना बेहट जिला सहारनपुर।

—निगरानीकर्ता/वादी

बनाम

1— उत्तर प्रदेश सरकार ।
2— कलीम अहमद पुत्र मुस्तफा
3. श्रीमति रास्सो पत्नी कलीम अहमद
निवासीगण ग्राम कम्बोह माजरा, थाना बेहट, जिला सहारनपुर।

—उत्तरदाता/ विपक्षीगण।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्ता **दिलशाद** की तरफ से **वाद संख्या—5054/2022** सरकार बनाम कलीम अहमद आदि अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0, थाना बेहट, जिला सहारनपुर में पारित आदेश दिनांकित 02.01.2026 से क्षुब्ध होकर योजित किया गया है। प्रश्नगत आदेश के माध्यम से विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, सहारनपुर द्वारा निगरानीकर्ता/वादी मुकदमा के प्रार्थनापत्र दिनांकित 30.04.2024 को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

2— निगरानीकर्ता द्वारा संस्थित **निगरानी के आधार** निम्नव्त है किः—

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 02.01.2026 पत्रावली पर तथ्यों के विरूद्ध है। वाद उपरोक्त के क्रास केस की प्रथम सूचना रिपोर्ट उत्तरदाता नम्बर—2 व 3 के पुत्र उसमान ने थाना बेहट पर एन.सी.आर. संख्या—79/2014 थाना बेहट पर दर्ज करायी थी, जिसमें निगरानीकर्ता व उसके पिता व अन्य को अभियुक्त बनाया गया। बाद में उसमान के पिता कलीम अहमद ने उक्त एन.सी.आर. को छिपाते हुये दिनांक 01.07.2014 में प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या—227/2014 कलीम अहमद बनाम सलीम अहमद आदि अंतर्गत धारा 156(3)

दण्ड प्रक्रिया संहिता में अन्य तथ्य जोड़कर धारा 354 व 452 भा0दं0सं0 न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए मुकदमा कायम करने का आदेश पारित किया गया और थाना बेहट पर मुकदमा अपराध संख्या–55/2015 सरकार बनाम सलीम आदि दर्ज हुआ और आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 452,354,323,325,504,506 भा0दं0सं0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर विचारण शुरू किया। उपरोक्त वाद के वादी कलीम अहमद ने दिनांक 24.08.2016 में उपरोक्त वाद की पीड़िता कु0 रेशमा का हाईस्कूल का सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया तथा दिनांक 12.02.2023 में नकल प्राप्त की, जिस पर न्यायालय द्वारा पीड़िता को अल्पव्यस्क मानते हुये पोक्सो न्यायालय, कक्ष संख्या–13, सहारनपुर में दिनांक 10.05.2024 में कमिट कर दिया गया और पोक्सो कोर्ट, कक्ष संख्या–13 में उक्त वाद विचारण हेतु चल रहा है। क्योंकि दोनों वाद एक ही घटना स्थान व तिथि व अभियुक्तगण, वादी व चुटैलों से सम्बन्धित है, अतः दोनों वादों का विचारण एक ही न्यायालय द्वारा न्यायहित में होना आवश्यक है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। विद्वान अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांकित 02.01.2026 तार्किक व न्यायसंगत न होने के कारण निगरानी स्वीकार कर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित तलबी आदेश दिनांकित 02.01.2026 निरस्त किया जाकर अवर न्यायालय को वाद उपरोक्त को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/पोक्सो कोर्ट, कक्ष संख्या–13, सहारनपुर में भेजे जाने हेतु निर्देशित किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

3– निगरानीकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में सूची–13ख के माध्यम से वाद संख्या–5054/2022, एन.सी.आर. नम्बर–78/2014 सरकार बनाम कलीम आदि अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा0दं0सं0, थाना बेहट जिला सहारनपुर में नक्शा नजरी की सत्य प्रति, आरोप पत्र की सत्य प्रति, एन.सी.आर. की छायाप्रति, मुकदमा अपराध संख्या–55/2015 सरकार बनाम सलीम आदि अन्तर्गत धारा 325,452,354,323,506 भा0दं0सं0, थाना बेहट, जिला सहारनपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्य प्रति, नक्शा नजरी की सत्य प्रति, आरोप पत्र की सत्य प्रति क्रमशः कागज संख्या–13ख/2 लगायत 13ख/13 दाखिल किये गये हैं।

4– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा अवर न्यायालय की तलब शुदा मूल पत्रावली का विवादित आदेश के सन्दर्भ में परिशीलन किया।

5– विद्वान अवर न्यायालय की तलबिदा पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि निगरानीकर्ता/वादी मुकदमा **<u>दिलशाद</u>** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–78/2014 **सरकार बनाम कलीम आदि** के प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष वाद संख्या 5054/2022, मुकदमा अपराध संख्या 78/2014 सरकार बनाम कलीम आदि को मुकदमा अपराध संख्या–55/2015 सरकार बनाम सलीम आदि अन्तर्गत धारा 325,452,354,323,506भा0दं0सं0, थाना बेहट, जिला सहारनपुर के साथ न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/पोक्सो कोर्ट, कक्ष संख्या–13, सहारनपुर में कमिट कर भेजे जाने हेतु **<u>प्रार्थनापत्र</u>** दिनांकित 30.04.2024 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि:–

वाद उपरोक्त में प्रार्थी वादी व चुटैल है। अभियुक्तगण की ओर से भी कथित घटना के सम्बन्ध में इस वाद के चुटैल उस्मान पुत्र कलीम ने एन.सी.आर. नम्बर 79/2014, थाने पर सलीम आदि के विरूद्ध दर्ज कराई थी। उक्त एन.सी.आर. को छिपाकर बाद में उक्त वाद के वादी के पिता कलीम अहमद ने इस वाद के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या 463/2014, कलीम अहमद बनाम सलीम अहमद आदि अंतर्गत धारा 452.354,323 भा0द0सं0 न्यायालय में मुकदमा कायम कराने व विवेचना हेतु दिनांक 01.07.2014 में प्रेषित किया, जिस पर न्यायालय द्वारा मुकदमा कायम करने व विवेचना हेतु भेजे जाने का आदेश पारित किया गया। विवेचना के उपरान्त पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 55/2015 दर्ज कर आरोप पत्र अंतर्गत धारा 325,452,354,323,506 भा0द0सं0 प्रेषित किया गया। वादी द्वारा न्यायालय में पीड़िता कु0 रेशमा के स्कूल के कागजात दाखिल कर मामला पोक्सो एक्ट में संशोधित कर पोक्सो अदालत, कक्ष संख्या 13 में कमिट करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया, जिसको स्वीकार करते हुए उक्त वाद पोक्सो अदालत में विचारण हेतु कमिट कर दिया गया है जो कि पोक्सो कोर्ट, कक्ष संख्या 13, सहारनपुर में विचाराधीन है। चूंकि उक्त वाद भी इस पोक्सो एक्ट का क्रोस केस है तथा दोनो मुकदमो का निस्तारण एक ही न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाना आवश्यक है। अतः वादी द्वारा उक्त वाद भी न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ पोक्सो कोर्ट कक्ष संख्या 13 सहारनपुर में कमिट कर भेजे जाने की याचना की गयी।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 02.01.2026 के माध्यम से निगरानीकर्ता के प्रार्थनापत्र दिनांकित 30.04.2024 को निरस्त किया गया है। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर ही यह निगरानी योजित की गयी है।

6– निगरानीकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी में लिए गये आधारो को दोहराते हुए आलोच्य आदेश विधि विरूद्ध होने तथा निगरानी स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश अपास्त करने की याचना की गयी है।

7– उपरोक्त के विरूद्ध विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश सही एवं विधि अनुसार होने, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य किसी प्रकार का नहीं होने की याचना की गयी है।

8– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **<u>अमित कपूर बनाम रमेश चन्दर तथा अन्य 2012(3) जे.आई.सी.–772(एस.सी)</u>** में यह उल्लिखित किया गया है कि–

पुनरीक्षण न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक सीमित क्षेत्राधिकार है और इसका प्रयोग नैत्यिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग उन परिस्थितियों एवं मामलों में करना चाहिए जहॉ पर–

1. जिस निर्णय/आदेश को चुनौती दी है, वह बिल्कुल विधि के विपरीत है,

2.विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है और

3.बिना किसी साक्ष्य के निष्कर्ष दिए गए है,

4.तात्विक साक्ष्य को अनदेखा किया गया है तथा

5.न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने तरीके से या तर्कों के विरूद्ध किया गया है।

उपरोक्त निर्णय विधि के प्रकाश में न्यायालय को यह देखना है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि सम्मत है अथवा नहीं ?

9– अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी मुकदमा दिलशाद की ओर से न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, सहारनपुर में वाद संख्या 5054/2022, मुकदमा अपराध संख्या–78/2014 सरकार बनाम कलीम आदि, अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा0दं0सं0, थाना बेहट, जिला सहारनपुर को मुकदमा अपराध संख्या–55/2015 अन्तर्गत धारा 323,325,452,354,506 भा0दं0सं0 के साथ कमिट कराये जाने हेतु प्रार्थनापत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि वाद संख्या 5054/2022, मुकदमा अपराध संख्या–78/2014 सरकार बनाम कलीम आदि मुकदमा अपराध संख्या–55/2015 अन्तर्गत धारा 323,325,452,354,506 भा0दं0सं0 का क्रॉस केस है

तथा मुकदमा अपराध संख्या–55/2015 अन्तर्गत धारा 323,325,452,354,506 भा0दं0सं0 का मामला न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/पोक्सो कोर्ट, कक्ष संख्या–13 सहारनपुर में विचारण हेतु कमिट कर दिया गया है तथा उपरोक्त दोनो मुकदमो का निस्तारण एक ही न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए और यह तभी हो पायेगा जब दोनों मामलों का विचारण एक साथ पोक्सो न्यायालय, कक्ष संख्या–13, सहारनपुर में किया जायेगा। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित **02.01.2026** के माध्यम से निगरानीकर्ता के **प्रार्थनापत्र दिनांकित 30.04.2024** को यह उल्लेख करते हुए निरस्त किया गया है कि उपरोक्त मामले में दौरान विवेचना न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया जा चुका है। पत्रावली पर ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है जिससे उपरोक्त पत्रावली को कमिट कर/स्थानान्तरित कर अन्य न्यायालय में भेजा जाये।

उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता/वादी मुकदमा दिलशाद द्वारा प्रस्तुत निगरानी में, दौरान बहस निगरानी के समर्थन में वाद संख्या–5054/2022, एन.सी. आर. नम्बर–78/2014 सरकार बनाम कलीम आदि अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा0दं0सं0, थाना बेहट जिला सहारनपुर के नक्शा नजरी एवं आरोप पत्र की सत्य प्रति, एन.सी.आर. की छायाप्रति, मुकदमा अपराध संख्या–55/2015 सरकार बनाम सलीम आदि अन्तर्गत धारा 325,452,354,323,506भा0दं0सं0, थाना बेहट, जिला सहारनपुर के प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी एवं आरोप पत्र की सत्य प्रति दाखिल करते हुए उपरोक्त वर्णित दोनों मामलों को एक दूसरे का क्रॉस केस होने का कथन किया गया है, परन्तु अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अवर न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांकित 02.01.2026 पारित होने के स्तर तक उक्त प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध न होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा दोनों मामलों को क्रॉस केस होने के सन्दर्भ में विचार किया जाना सम्भव नहीं था। ऐसी स्थिति में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता/वादी मुकदमा का प्रार्थनापत्र दिनांकित 30.04.2024 को निरस्त किये जाने में कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि कारित किया जाना परिलक्षित नहीं है। अतएव निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त दाण्डिक निगरानी तद्नुसार निरस्त की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित **02.01.2026** की पुष्टि की जाती है।

निगरानीकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि यदि निगरानीकर्ता उचित समझे तो वह क्रॉस केस से सम्बन्धित सुसंगत प्रपत्रों के साथ प्रार्थनापत्र सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत करे । यदि निगरानीकर्ता द्वारा ऐसा कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाता है तो अवर न्यायालय उसका गुण–दोष के आधार पर पुनः निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

आदेश की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाये।

(सतेन्द्र कुमार)

दिनांक 24.03.2026 **सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।**

I.D. UP-1891

आज यह निर्णय, आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर सुनाया गया।

(सतेन्द्र कुमार)

दिनांक 24.03.2026 सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।

I.D. UP-1891